[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना
सं. 03/2026-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 26 अक्तूबर, 2026
4 कार्तिक, 1948 शक

का.आ. …..(अ).– केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2026 (2026 का 4) की धारा 1 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 नवंबर, 2026 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 153 से धारा 155 तक के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. सीबीआईसी-20001/1/2026-जीएसटी]

(कृति पाण्डेय)
अवर सचिव